Dr. S. S. Pandey

NITI Aayog

नीति आयोग

NITI

National Institution for Transforming India

Tag Line

'ऊपर से नीचे की ओर निर्देश की जगह नीचे से ऊपर की ओर दिशा'

1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर गठित संस्थान, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए, केंद्र एवं राज्य सरकारों के **"Think Tank"** के रूप में सेवा प्रदान करेगा और उन्हें (केंद्र/राज्यों को) निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा

नीति आयोग के कार्य

1. संसाधन केंद्र एवं ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना
2. नीतियो एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना
3. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
4. अनुविक्षण एवं मूल्यांकन करना

इस हेतु नीति आयोग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि, भारत में 'इफेक्टिव गवनेंस' निम्न पिलर्स / बातों पर निर्भर करता है; जैसे-

1. जन आधारित एजेंडा, जो समाज के साथ व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करे
2. जो लोगों की जरूरतों के मुताबिक 'प्रो एक्टिव' हो

   [25 मार्च, 2015 को Pro Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI)] जो एक 'मल्टी स्टेज प्लेटफार्म' था, बनाया गया
3. जनसहभागिता अर्थात नागरिकों की भागीदारी हो
4. विकास में समाज के सभी समूहों का समावेश हो
5. हमारे देश के युवाओं को अवसर की समानता मिले

6. पर्यावरण सुरक्षित रखते हुए, 'सतत विकास' को बढ़ावा
7. पारदर्शिता, जो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाय

इस हेतु नीति आयोग द्वारा 2 केंद्र/हब का निर्माण किया जा चुका है; जो निम्न है-

1. 'नॉलेज एंड इनोवेशन हब'
   [कार्य- ज्ञान का सृजन, संचयन एवं प्रसार]
2. 'टीम इंडिया हब'
   [कार्य- सहकारी संघवाद के लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हुए, राज्य-केंद्र तथा ज्ञान एवं नवप्रवर्तन हब के बीच तालमेल बैठाना एवं योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के अधिदेश को कार्यान्वित करना]

नीति आयोग के नॉलेज एंड इनोवेशन हब द्वारा, Atal Innovation Mission [AIM] तथा Self Employment and Talent Utilisation (SETU) के तत्वावधान में, नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जा रहा है

देश में नवाचार पारितंत्र (Innovation Ecosystem) को पर्याप्त बढ़ावा देने एवं उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015-16 में नीति आयोग में 'अटल नवाचार मिशन' (AIM) और 'स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोगिता' (SETU) की, क्रमशः पांच सौ करोड और एक हजार करोड रुपये की, आरंभिक राशि के साथ स्थापना की घोषणा की गई

अटल इनोवेशन मिशन, नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जहां सरकार आविष्कारक और डिजाइनरों के लिए, अपने नए विचारों के साथ अपने डिजाइन तैयार उत्पादों को पेश करने का अवसर प्रदान कर रही है

AIM के अन्तर्गत निम्न प्रमुख कार्यक्रम चलाय जा रहे हैं–

1. Atal Tinkering Labs
2. Atal Incubation Centres
3. Atal New India Challenge (2018 - 1.0 & 2022 - 2.0)
4. Mentor India Campaign
5. ARISE
6. AIM-ICREST

AIM के तहत अभी तक लगभग–

- 10,000+ स्कूलों में Atal Tinkering Labs की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 75 लाख छात्रों को जोड़ा गया है
- 75+ Atal Incubation Ceners की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से 50,000 रोजगार सृजित किया गया है
- 12 लाख + Innovation Project चलाए जा रहें हैं

- 2000+ Startup को समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें से 625 का नेतृत्व महिलाएँ कर रही है
- AIM द्वारा मई 2022 में ANIC 2.0 की शुरूआत की गयी और मार्च 2023 में 'ATL सारथी' (बढ़ते ATL के लिए एक स्वनिगरानी ढांचा) की शुरूआत की गयी

9 मार्च, 2015 को सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाते हुए, नीति आयोग के केंद्र, टीम इंडिया के तत्वावधान में, मुख्यमंत्रियों के तीन उपसमूह बनाय गय; जो निम्न है-

1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए
   [मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में]
2. कौशल विकास के लिए
   [पंजाब के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में]
3. स्वच्छ भारत अभियान के लिए
   [आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में]

इन उप-समूहों द्वारा की गयी सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकारा गया.....

..... और 2016 में पुनः सरकार ने, विमुद्रीकरण (Demonetisation) पर मुख्यमंत्रियों के एक नय उप-समूह का गठन किया, जिनके सलाह एवं सहयोग के साथ विकास कार्यक्रमों एवं नीतियों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है

NITI Aayog
(National Institution for Transforming India)
Government of India

Strategy for New India @75
Strategy for 2022

19 December, 2018 को नीति आयोग द्वारा आजादी के 75वें वर्ष 2022 तक के लिए विकास के लक्ष्य एवं रणनीति की घोषणा की गयी जिनको Strategy for New India @75 कहा गया और इसके अंतर्गत विकास के निम्न लक्ष्यो को निर्धारित किया गया

- A. संचालक (Drivers)
- B. आधारभूत संरचना (Infrastructure)
- C. समावेशन (Inclusion)
- D. शासन (Governance)

A. संचालक (Drivers)

1. वृद्धि एवं रोजगार
   (Growth and Employment)
2. किसानों की आय दुगना करना
   (Doubling Farmers' Income)
3. 'मेक इन इंडिया'
   (Make in India)
4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष
   (Science, Technology & Innovation)
5. वित्तीय तकनीक एवं पर्यटन
   (Fintech & Tourism)

A-1. वृद्धि (Growth)

8% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए GDP की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि

1. निवेश की दर को GDP के 36% तक बढ़ाना

A-1. रोजगार व श्रम सुधार (Employment & Labour Reforms)

केंद्रीय श्रम कानूनों को पूरी तरह संहिताबद्ध करना; महिला श्रम बल की भागेदारी 30% तक बढ़ाना

1. कौशल में वृद्धि व प्रशिक्षुताओं की सार्थक वृद्धि

2. रोजगार संबंधी आंकड़ा संग्रह में सुधार

3. औपचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक संबंधों को आसान बनाना

A-2. किसानों की आय को दुगुना करना – I (Doubling Farmers' Income - I)

प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, उत्पादकता में वृद्धि व कृषि प्रसंस्करण, फसलों का विविधीकरण

1. ड्रिप सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि, संकर बीजों को अपनाना

2. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) को उन्मुख करने के लिए रणनीतिक अनुसंधान प्रसार योजनाओं को जड से विकसित करना

3. उच्च मूल्य की फसलों के विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करना

A-2. किसानों की आय को दुगुना करना - II (Doubling Farmers' Income - II)

एसी नीतियों को बढ़ावा देना जो किसानों को मूल्य संवर्द्धन के अधिक हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम बनाती है

1. APMC को समाप्त करना, मॉडल ATML Act, मॉडल कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट और मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को अपनाना

2. सुसंगत और स्थिर कृषि निर्यात नीति तैयार करना, कृषि निर्यात पर प्रतिबंधों को हटाना

3. सटीक कृषि (Precision Farming) पर बल देना, अनुसंधान पर खर्च बढ़ाना

A-2. किसानों की आय को दुगुना करना - III (Doubling Farmers' Income - III)

आधुनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचा और एकीकृत मूल्य श्रृंखला प्रणाली बनाना

1. कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के अनुरूप आधारभूत संरचना

2. प्रसंस्करण को उत्पादन से जोड़ना, ग्रामीण स्तर पर खरीद केन्द्र स्थापित करना

3. निर्यात उन्मुख समूह विकसित करना

A-3. उद्योग (Industry)

विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान विकास दर को दोगुना करना

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के लिए प्लग एंड प्ले पार्क के साथ विनियोग क्षेत्र के आत्मनिर्भर समूह विकसित करना

2. उद्योगों को उद्योग 4.0 को अपनाने हेतु एक बड़ी पहल प्रारंभ करना

3. निवेशक व सरकार के मध्य एकल संपर्क बिंदु उपलब्ध कराने हेतु राज्यों में 'एकल खिड़की' सुविधा प्रारंभ करना

A-3. खनन (Mining)

8.5% की औसत वृद्धि का लक्ष्य, GDP के वर्तमान 10% से दुगुने क्षेत्र का पता लगाना

1. खनिजों की खोज और लाइसेंसिंग नीति को संशोधित करके 'Explore in India' मिशन प्रारंभ करना

2. एकल खिड़की सुविधा, समयबद्ध वातावरण एवं वन मंजूरी प्रदान करना

3. अधीनस्थ राज्य प्राधिकरणों के साथ एक राष्ट्रीय खनिज नियामक प्राधिकरण बनाना

A-4. प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष (Science, Technology & Innovation)

वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में प्रथम 50 देशों में स्थान प्राप्त करना

1. विज्ञान के प्रबंधन को समग्र रूप से चलाने के लिए एक सशक्त निकाय की स्थापना करना

2. सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाना

3. एक अक्षरणीय (Non- Lapsable) 'जिला नवोन्मेष निधि' बनाना

A-5. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

बैंक खातों, बीमा और पेंशन के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

1. नियमित स्कूल पाठ्यक्रम में एक आर्थिक शिक्षा अभियान को एकीकृत करना

2. छोटे ऋणकर्ताओं एवं परिवारों की ऋण योग्यता के आकलन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

3. ऑनलाइन डिजिटल और पेपरलेस बैंकिंग के विकास की सुविधा उपलब्ध कराना

A-5. सभी के लिए घर (Housing for All)

हर परिवार को पक्का घर, पानी का कनेक्शन, शौचालय और 24 x 7 बिजली की आपूर्ति प्रदान करना

1. प्रति वर्ग फुट दृष्टिकोण की बजाय परियोजनाओं के जीवन चक्र दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करना

2. केन्द्र / राज्य सरकारों के बीमार / घाटा पहुँचाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के बेकार पड़ी भूमि का उपयोग करना

3. प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधारी के तहत किफायती घरों के लिए एक उप-श्रेणी पर विचार करना

A-5. यात्रा, पर्यटन (Travel, Tourism)

वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत की हिस्सेदारी 1.2% से बढ़ाकर 3% करना

1. 100 'स्मार्ट टूरिस्ट' डेस्टिनेशन साइट्स विकसित करना

2. ई-वीजा जागरूकता अभियान शुरू करना, ई-मेडिकल वीजा के तहत अनुमत वार्षिक यात्राओं की संख्या में वृद्धि

3. 1 करोड रुपये से अधिक के पर्यटन, अवसंरचना, परियोजाओं को 'अवसंरचना के रूप में अधिसूचित करना

B. आधारभूत संरचना (Infrastructure)

1. ऊर्जा (Energy)

2. परिवहन (Transport)

3. स्मार्ट सिटी (Smart Cities)

4. स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission)

5. पर्यावरण एवं जल संसाधन (Environment & Water Resources)

B-1. ऊर्जा (Energy)

सभी को 24 x 7 बिजली उपलब्ध करना, 175 gw अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट सक्षम बनाने हेतु तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयला को GST के तहत शामिल करना

2. स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देना

3. लागत प्रभावी पावर ग्रिड संतुलन हेतु तंत्र उपलब्ध करना

B-2. भू-तल परिवहन (Surface Transport)

राष्ट्रीय राजमागो की लंबाई दोगुना करना, दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर में 50% कमी लाना

1. प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करना जैसे- भारतमाला परियोजना चरण -I

2. रख-रखाव प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग की संपत्ति को बनाए रखना

3. सड़क और राजमागो के रख-रखाव के लिए वार्षिक बजट का 10% खर्च करना

B-2. रेलवे (Railways)

एक कुशल, सुरक्षित, लागत प्रभावी और सुलभ रेलवे नेटवर्क सुनिश्चित करना, शून्य दुर्घटना मृत्यु प्राप्त करना

1. राजस्व उत्पन्न करने के लिए किराया संरचना एवं सब्सिडी को तर्क संगत बनाना और संपत्ति का मौद्रिकरण करना

2. डॉ. काकोडकर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की 22 सिफारिशों को लागू करना

3. भारतीय रेलवे के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना

B-2. नागरिक उड्डयन (Civil Aviation)

103 मिलियन से 300 मिलियन तक घरेलू टिकट बिक्री में वृद्धि, एयर कागो निपटान को दोगुना करना

1. UDAN के तहत हवाई अड्डों के निर्माण को समय पर पूर्ण करना, टियर-1 शहरों के हवाई अड्डों का निजीकरण करना

2. एमआरओ सेवाओं पर करों को कम करना तथा एमआरओ के लिए बुनियादी ढाँचे का दर्जा देने पर विचार करना

3. ट्रांसशिपमेंट हब के निर्माण के माध्यम से 'Fly From India' को बढ़ावा देना

B-2. बंदरगाह, नौ-परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग (Ports, Shipping & Inland Waterways)

तटीय नौ-वहन और अंतर्देशीय जलमागो द्वारा पहुंचाए जाने वाले माल के हिस्से को दोगुना करना

1. सागरमाला परियोजना को पुरा करना, भारत के ड्रेजिंग मार्केट को खोलना

2. नया मर्चेंट शिपिंग बिल अधिनियमित करना

3. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत अंतर्देशीय जहाजों के लिए पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाना

B-2. लॉजिस्टिक (Logistics)

लॉजिस्टिक व्यय को जीडीपी के 14% के मौजूदा स्तर से 10% से कम स्तर पर लाना

1. परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम मंच विकसित करना

2. शुल्कदर को तर्कसंगत बनाना और अलग-अलग मोड में कुशल तरीके से कीमतें निर्धारित करना

3. एक व्यापक संस्था बनाना जो सभी यातायात आँकड़ों को संग्रहित करें

B-3. डिजिटल जुड़ाव (Digital Connectivity)

राज्यों, जिलों को डिजीटली जोड़ना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना

1. बड़े और नजदीक के प्रखंडों के आवंटन के लिए प्रभावी स्पेक्ट्रम का अन्वेषण करना

2. कॉल ड्रॉप, कमजोर सिग्नल आदि का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली लगाने पर विचार करना

3. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के माध्यम से प्राथमिक स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना

B-3. स्मार्ट सिटी (Smart Cities)

नौकरी सृजन और आर्थिक विकास को गति देना; सेवा वितरण दक्षता में सुधार लाना

1. 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक समर्पित मेट्रोपॉलिटन शहरी परिवहन प्राधिकरण की स्थापना करना

2. शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के पहुँच के लिए एकल खिड़की सुविधा शुरू करना

3. लचीले शहर दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना और इसे सेवा स्तरों के साथ जोड़ना

B-4. स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission)

भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना; स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना

1. संचार और अंतर-व्यक्तिगत संचार अभियानों के माध्यम से व्यवहार में बदलाव की योजना

2. बायो-टॉयलेट/बायो-डायजेस्टर के व्यय को जीएसटी से छूट पर विचार करना

3. अपशिष्ट पदार्थों के निपटान और शौचालयों के रखरखाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उपयोगकर्त्ता से उचित शुल्क लेने के लिए बाध्य करना

B-5. जल संसाधन (Water Resources)

पाइपलाइन द्वारा पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता के लिए जल उपलब्ध कराना

1. संग्रहण क्षमता को 253 bcm से बढ़ाकर 304 bcm कर देना

2. उपचारित अपशिष्ट जल से 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए एक पायलट योजना शुरू करना

3. भूजल संसाधन को टिकाऊ बनाने के लिए स्पिालिंग जोन विकसित करना

B-5. सतत पर्यावरण Sustainable Environment

PM2.5 को घटाकर 50 से कम करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन

1. फसल कटाई और खेत के अवशेषों के उपयोग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना

2. जैव-डाइजेस्टर शौचालयों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना

3. शहरी खाली क्षेत्रों को शहरी हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करना

C. समावेशन (Inclusion)

1. शिक्षा (Education)

2. स्वास्थ्य (Health)

3. पोषण (Nutrition)

4. लिंग (Gender)

5. परंपरागत अपवर्जित समूह (Traditionally Marginalised Sections)

C-1. प्राथमिक शिक्षा (School Education)

सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण (रोके रखना); सीखने के परिणामों में सुधार

1. शिक्षकों की योग्यता, अनुपस्थिति आदि पर नियमों को लागू करने के लिए तंत्र तैयार करना

2. पब्लिक स्कूल संरचना को यक्तिसंगत बनाना, व्यक्तिगत रूप से देखरेख का दायित्व लेना

3. बच्चों को व्यवसायिक कोर्स में विभिन्न भागों का विकल्प उपलब्ध करवाना

C-1. उच्च शिक्षा (Higher Education)

2016-17 के 25% के अनुपात में सकल नामांकन में 35% की वृद्धि

1. उच्च शिक्षा नियामकों का प्रभावी सामंजस्य सुनिश्चित करना

2. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य रूप से मान्यता देना

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं उच्च शिक्षा अनुदान संस्थाओं के माध्यम से अनुदान को परिणाम से जोड़ना

C-1. शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण Teacher Education & Training

न्यूनतम मानकों को लागू करना; प्रशिक्षण सेवा में सुधार, शिक्षक अनुपस्थिति का समाधान करना

1. संस्थाओं को मान्यता देने के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड विकसित करने के लिए एक समिति की स्थापना करना

2. शिक्षकों के पेशेवर विकास कार्यक्रम को पुनर्संरचनित करना

3. एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शिक्षक पंजीयन स्थापित करना; सभी स्तरों के लिए शिक्षक माँग पूर्वानुमान मॉडल (प्रतिरूप) विकसित करना

C-1. कुशलता (Skilling)

कार्यबल का 5.4% से औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अनुपात बढ़ाकर 15% करना; समावेशिता सुनिश्चित करना

1. खिलाडियों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए एकल नियामक निकाय की स्थापना करना

2. आठवीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत

3. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत दावा अदायगी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

C-2. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान (Public Health Campaign)

सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक रूप से सुधार करना

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50%, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 70% तथा जिला अस्पतालों में 100% आयुष सेवाओं को सह-स्थापित करना

2. राज्यों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन ढाँचे की व्यवस्था

3. राज्य के समकक्षों के साथ केन्द्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक केन्द्र बिन्दु बनाना

C-2. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
Primary Health Care

स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों के मंच पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए एक नई दृष्टिकोण को बढ़ावा देना

1. 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना में तेजी लाना, तेजी से बढ़ावा देने के लिए तंत्र स्थापित करना

2. स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए समन्वित अभियान

3. स्वस्थ भारत जन आंदोलन : स्वस्थ भारत के लिए लोगों की भागीदारी को प्रेरित करना

C-2. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन - एचआरएच
(Human Resources for Health -HRH)

1:1400 डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:1400 तथा नर्स जनसंख्या अनुपात 1:500 प्राप्त करना

1. चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, फार्मेसी परिषदों के शासन विधि में सुधार

2. एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना

3. राज्यों में व्यापक स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन नीति विकसित करना; स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन पर आँकड़ें बनाना

C-2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
(Universal Health Coverage)

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत 75% आबादी कवर करेगी

1. सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना जैसे जिला अस्पताल श्रेणी को संस्थागत करना

2. अस्पताल के निजीकरण के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से आपूर्ति घाटे वाले क्षेत्रों में निजी निवेश

3. उच्च प्राथमिकता वाली बीमारियों के लिए अनुसंधान संघ की स्थापना करना

C-3. पोषण (Nutrition)

बच्चों में अवरूद्ध विकास तथा कम वजन के मामलों को 25 प्रतिशत एवं रक्ताल्पता के मामलों 43 प्रतिशत या उससे कम करना

1. पोषण अभ्यान के तहत अधिक कुपोषण ग्रस्त जिलों में मिशन मोड कार्यक्रम को लागू करना

2. पोषण MIS और निगरानी तंत्र का विस्तार करना

3. राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी लाना

C-4. लैंगिकता (Gender)

महिला श्रम बल भागीदारी दर को कम से कम 30% तक बढ़ाना, प्रतिबंध मुक्त कार्य परिवेश बनाना

1. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत करना

2. मुख्य संकेतकों पर लिंग आधारित आँकड़ें और श्रेणी को बनाना

3. बड़े शहरों और नवनिर्मित शहरों में लिंग के अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करना

C-5. सामाजिक समावेशन Social Inclusion - I

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सक्षम करना

1. वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन; अपने ही घर में जीवन व्यतीत करने के अवधारणा पर जोर देना

2. दिव्यांग-आधारित आँकड़े बनाना

3. सरकारी और गैर-सरकारी अभिलेखों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रदान करना

C-5. सामाजिक समावेशन Social Inclusion - II

केन्द्रित सकारात्मक अभियान के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी, विमुक्त जाति (डीएनटी), खानाबदोश जनजाति (एनटी), अर्द्ध खानाबदोश जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का केन्द्रित सकारात्मक अभियान के माध्यम से विकास में तेजी लाना।

1. विशिष्ट समुदायों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए योजनाएँ बनाना

2. छूटे हुए प्रखंडों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना

3. लाइन मंत्रालयों के साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी निहित करना

D. शासन (Governance)

1. संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)

2. विधिक, न्यायिक एवं पुलिस सुधार (Legal, Judicial, Police Reforms)

3. सिविल सेवा सुधार (Civil Services Reforms)

4. शहरी शासन व्यवस्था एवं भू-संसाधन का उपयोग (City Governance & Use of Land Resources)

5. आँकड़ा आधारित शासन (Data-Led Governance)

D-1. आकांक्षात्मक जिला Aspirational Districts

वर्तमान में विकास के मापदंडों में पिछड रहे 115 जिलों का उत्थान करना

1. इसे जन आंदोलन बनाकर विकास की एक सकारात्मक कहानी बनाना

2. जिलों के बीच निर्णय लेने के लिए सूचित करने और प्रेरित प्रतिस्पर्धा के लिए आँकड़ों का उपयोग

3. केन्द्र, राज्यों और जिलों के बीच सम्मिलित कार्य के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना

D-1. उत्तर-पूर्व क्षेत्र North-East Region

उन्नत व्यापार के लिए भौतिक संपर्क विकसित करना, जलमार्ग, वित्तीय समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करना

1. एक विकास प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्य को प्रोत्साहित करना

2. संपर्क के मुद्दों को संबोधित करना जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र और उसके पड़ोसियों के लिए परिवहन संधि

3. इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना, सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करना

D-2. विधिक, न्यायिक, पुलिस सुधार Legal, Judicial, Police Reforms

नागरिकों की सुरक्षा और प्रभावी कानूनी प्रणालियों तक पहुँच सुनिश्चित करना

1. सभी मौजूदा केन्द्रीय और राज्य कानूनों, नियमों और विनियमों का संग्रह बनाना

2. लंबित मामलों के संग्रह को संबोधित करना जैसे- नियमित अदालत प्रणाली के कार्यभार के भाग को बाँटना

3. कार्मिकों को प्रशिक्षण और गैर-आंतरिक कार्यों को पहचान कर आउटसोर्स करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन टास्क फोर्स का गठन करना

D-3. सिविल सेवा सुधार Civil Services Reforms

सिविल सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन की एक सुधरी हुई प्रणाली स्थापित करना

1. एक अधिकारी-उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना और अधिकारियों की संख्या के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करना

2. नौकरी-परिणामोन्मुखी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली को बदलना; जैसे- शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन

3. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के स्थान पर मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक के साथ बदलने पर विचार करना

D-4. शहरी शासन (City Governance)

शहरों को आर्थिक रूप से जीवंत और पर्यावरणीय रूप से सतत आवास में बदलना

1. प्रत्येक शहर को अर्थव्यवस्था के एक अलग इकाई के रूप में पहचानना, एक त्रैमासिक शहर डैशबोर्ड विकसित करना

2. शहर के शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना जिसमें विकास प्राधिकरण, अन्य अर्द्धनिजी संगठन आदि शामिल हो

3. शहरों की स्थानिक योजना के लिए एक आधुनिक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करना

D-4. भू-संसाधन (Land Resources)

कुशल आवंटन, सुरक्षित संपत्ति अधिकार आदि द्वारा भूमि बाजारों को मजबूत करना

1. राज्य मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 पर विचार कर सकते हैं

2. सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना

3. उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से भूमि रिकॉर्ड अपडेट और डिजिटाइज करना

D-5. आँकड़ा आधारित नीति निर्माण (Data-Led Policy Making)

साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए समय पर आँकड़ों का निर्माण और प्रसार सुनिश्चित करना

1. केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य डेटा रिपॉजिटरी बनाना

2. निजी तृतीय पक्षों द्वारा एकत्रित तृतियक बड़े डेटा का उपयोग करना

3. नई तकनीकों के बारे में सरकारी सांख्यिकीय संगठनों को अपडेट करना

NITI Aayog एवं AIM से संबंधित समसामयिक तथ्य

11 July, 2020

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए एटीएल एप डेवलपमेंट मॉडयूल लॉन्च किया इसका उद्देश्य एआईएम के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें एप उपयोगकर्ता से एप का निर्माण करने वाला बनाना है

30 July, 2020

देश भर के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने की एक प्रमुख पहल के तहत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन की साझदारी में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम एआईएम-आईसीआरईएसटी शुरू किया है, जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केन्द्रित है

12 April 2021

भारत-डेनमार्क ने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने और एसडीजी को हासिल करने के लिए विश्वस्तरीय नवाचार समाधानों की दिशा में वैश्विक सहयोग के लिए अटल नवाचार मिशन के माध्यम से एक-दूसरे से हाथ मिलाया

09 April 2021

नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) की देश भर में प्रमुख 295 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) को आज आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद.....(सीएसआईआर) ने अपना लिया है, जो छात्रों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को विकसित करने की दिशा में एक महत्त्वाकांक्षी कदम है

इसका उद्देश्य अपने वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का लाभ प्रदान कर छात्रों में एसटीईएम आधारित अनुसंधान और नवाचार की रूचि पैदा करना है

30 June, 2021

देश भर में टेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के तौर पर, अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन ने एआईएम- आईएलईएपी के पहले फिनटेक समूह सम्मेलन का समापन किया यह उद्योग, बाजारों और निवेशकों तक जरूरी पहुँच के साथ टेक स्टार्ट-अप्स को सहयोग करने की पहल है

22 Dec., 2021

देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) नीति आयोग अपनी तरह का पहला वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) 22 दिसम्बर 2021 को लेकर आया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा।

विश्व विकास से संबंधित प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट

मानव विकास सूचकांक - 2021 - 22

संयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report - HDR) 2022 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (Human Development Index - HDI) में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था तथा 2019-20 में 129 वें स्थान पर था

विश्व असमानता रिपोर्ट – 2021-22

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का पांचवां हिस्सा है।
- आधी आबादी सिर्फ 13.1 फीसदी कमाती है।
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत ने जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण अपनाया है, उससे ज्यादातर शीर्ष 1 प्रतिशत को फायदा हुआ है।
- रिपोर्ट भारत को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में पहचानती है।
- भारत में 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है।
- क्रय शक्ति समानता के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 204,200 रुपय है।

विश्व असमानता रिपोर्ट - 2021-22

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का पांचवां हिस्सा है।
- आधी आबादी सिर्फ 13.1 फीसदी कमाती है।
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत ने जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण अपनाया है, उससे ज्यादातर शीर्ष 1 प्रतिशत को फायदा हुआ है।
- रिपोर्ट भारत को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में पहचानती है।
- भारत में 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है।
- क्रय शक्ति समानता के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 204,200 रुपय है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स - 2022

- जारीकर्त्ता - विश्व आर्थिक मंच
- कुल शामिल देश - 146
- प्रथम स्थान - आइसलैंड
- भारत का स्थान - 135वां

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) 2022

- जारीकर्त्ता - UNDP & OPHI
- सम्मिलित देश - 109
- भारत का स्थान - 66

वैश्विक भुखमरी सूचकांक - 2022

- कुल देश - 121
- प्रथम स्थान - चीन
- भारत का स्थान - 107वां

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक - 2022

- जारीकर्ता - Corteva Agriscience
- प्रथम स्थान - Finland
- भारत का स्थान - 68वां

वैश्विक नवाचार सूचकांक - 2022

- जारीकर्ता - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
- कुल देश - 132
- प्रथम स्थान - स्विट्जरलैण्ड
- भारत का स्थान - 40वां

ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स - 2021

- जारीकर्ता - इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
- प्रथम स्थान - अमेरिका
- भारत का स्थान - 10वें

वैश्विक शांति सूचकांक - 2022

- जारीकर्ता - ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक
- स्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस
- प्रथम स्थान - आइसलैंड
- अंतिम स्थान - अफगानिस्तान
- भारत का स्थान - 135वां
- कुल देश- 163

वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स - 2023

- संस्था / संगठन - सतत विकास समाधान नेटवर्क
- सम्मिलित देश - 137
- प्रथम स्थान - फिनलैंड
- भारत का स्थान - 126

कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स - 2021

- संस्था - लोवी इंस्टिट्यूट सिडनी
- सम्मिलित देश - 98
- प्रथम देश - न्यूजीलैंड
- भारत का सीन - 86

SDG GLOBAL INDEX - 2022 (163 & 17)

Rank - 1 - Finland - Score - 86.5
Rank - 2 - Denmark - Score - 85.6
Rank - 3 - Sweden - Score - 85.1
Rank - 121 - India - Score - 60.3

सतत् विकास वैश्विक रिपोर्ट-2021 Sustainable Development Global Report - 2021 और भारत

14 जून, 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैंन स्टिफटंग (Bertelsmann Stiftung) द्वारा 'सतत विकास रिपोर्ट 2021' (Sustainable Development Report 2021) जारी की गई। रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में 165 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है।

सूचकांक में फिनलैंड (स्कोर- 85.90) शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे जर्मनी चौथे तथा बेल्जियम पांचवें स्थान पर है। सूचकांक में सबसे अंतिम 165वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। इस वर्ष सूचकांक में भारत 120वें स्थान (स्कोर- 60.07) पर है। इससे पहले भारत 2020 के सूचकांक में 117वें स्थान पर तथा 2019 के सूचकांक में 115वें स्थान पर था।

सतत् विकास लक्ष्य - 1 शून्य गरीबी और भारत

- गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है। यह शिक्षा के लिए घटते अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने की अक्षमता के रूप में प्रकट होती है।

- भारत ने अपने यहा गरीबों का अनुपात घटा कर आधा करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है फिर भी 2011-2012 तक 21% आबादी गरीबी में जी रही थी। इनमें से करीब 80% गरीब गाँवों में रहते हैं।

- SDG रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम के आधार पर 6.2 और 3.2 डॉलर के आधार पर 37.2 प्रतिशत गरीबी है।

सतत् विकास लक्ष्य - 2
शून्य भुखमरी
और
भारत

- दुनिया में हर व्यक्ति का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन मौजूद होने के बावजूद आज हर नौ में से एक व्यक्ति भूखा रहता है। इन लाचार लोगों में से दो-तिहाई एशिया में रहते हैं।

- अनुमान है कि 2050 तक दुनियाभर में भूख के शिकार लोगों की संख्या दो अरब तक पहुँच जाएगी।
- 28.1 करोड अल्पपोषित लोगों में भारत की 40 प्रतिशत आबादी शामिल है।
- SDG रिपोर्ट, 2021 के अनुसार – भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.0% है।

- 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता 34.7% एवं 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग (wasting) की व्यापकता 17.3% है।
- मोटापे की व्यापकता, (बीएमआई ≥ 30) वयस्क आबादी का 3.9% है।

सतत् विकास लक्ष्य - 3
उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली
और
भारत

- हर उम्र के लोगों का उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली सतत विकास का केंद्र बिंदु है।

- भारत ने पांच साल से कम उम्र में बच्चों की मृत्य दर घटाने में कुछ प्रगति की है। यह दर 2013 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 49 थी जो 2019 में घटकर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 21.7 रह गई।
- मात मृत्य दर 2009 में प्रति एक लाख जीवित शिशु प्रसव पर 167 थी जो 2017 में घटकर 147 रह गई।

- 2019 में 5 वर्ष से छोटे बच्चों (प्रति एक हजार जीवित जन्म पर) की मृत्यदर 34.3 रह गई है।
- 2019 में प्रति एक लाख की जनसंख्या में 193 लोग तपेदिक (tuberculosis) से पीड़ित थे।

- 2016 में हृदय रोग, कैंसर, मधमेह पुरानी सांस की बीमारी (%) के कारण आय-मानकीकृत मृत्य दर (30-70 वर्ष की आय के वयस्कों में) मधमेह, 23.3% था।
- 2016 में घरेलू वाय प्रदूषण और परिवेशी वाय प्रदूषण के कारण आय-मानकीकृत मृत्य दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) पर 184 थे।

- 2019 में यातायात से होने वाली मौतें (प्रति 100,000 जनसंख्या) की संख्या 15.6 था।
- 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष था।
- किशोर प्रजनन दर (15 से 19 वर्ष की आय में प्रति 1,000 महिलाओं पर जन्म), 2018 में 12.1 था।

- 2016 में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जन्म (%) 81.4 था।
- 2019 में 91% जीवित शिशु जिन्हें 2 WHO - अनुशंसित टीके प्राप्त हुए।
- 2017 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) सेवा कवरेज का सूचकांक 55 था।

सतत् विकास लक्ष्य - 4
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और
भारत

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास की बुनियाद है, इसीलिए सतत विकास लक्ष्य की बुनियाद भी है।

- भारत में प्राइमरी और प्रारंभिक दोनों स्तर के स्कूलों में लड़कियों की भर्ती और शिक्षा पूरी करने में सुधार हुआ है।
- 2013-14 तक लड़के और लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा में शुद्ध भर्ती दर 88% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर युवा साक्षरता दर लड़कों के लिए 94% और लड़कियों के लिए 92% थी।

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सतत विकास लक्ष्य 4, दोनों का उद्देश्य सबके लिए उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है।
- सरकार की प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए सर्व सुलभ उत्तम शिक्षा प्रदान करना है और इस प्रयास में पोषाहार संबंधी समर्थन उच्चतर शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में लक्षित योजनाओं से सहारा मिलता है।

➢ SDG रिपोर्ट, 2021 के अनुसार–
भारत में शुद्ध प्राथमिक नामांकन दर (%) 97.7, 2019 में निम्न माध्यमिक पूर्णता दर (%) 83.2 एवं 2018 में साक्षरता दर (15 से 24 वर्ष की आय की जनसंख्या का %) 91.7 थे।

सतत् विकास लक्ष्य – 5
लैंगिक समानता
और
भारत

➢ लैंगिक समानता न सिर्फ एक बुनियादी मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ विश्व के लिए आवश्यक बुनियाद भी है।

➢ महिलाओं के सशक्तिकरण में निवेश कर हम न सिर्फ सतत विकास लक्ष्य 5 की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बल्कि गरीबी कम करने में भी लाभ होता है तथा टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है।

➢ भारत में अगस्त, 2015 तक संसद में महिलाओं को मिली सीटों का अनुपात सिर्फ 12% रहा, जबकि लक्ष्य 50% का है।

➢ भारत महिलाओं के प्रति हिंसा की चुनौती का सामना भी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली में 92% महिलाओं ने अपने जीवन काल में सार्वजनिक स्थलों पर किसी न किसी रूप में यौन हिंसा का अनुभव किया है।

➢ भारत सरकार ने महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने को एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता माना है, जो लैंगिक समानता के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास उद्देश्यों का अंग है।

➢ प्रधानमंत्री की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल का उद्देश्य भारत में लड़कियों को समान अवसर और शिक्षा देना है।

➢ इसके अलावा, महिलाओं के रोजगार के बारे में विशेष प्रयास, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम, बालिका की संपन्नता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और माताओं के लिए जननी सुरक्षा योजना जैसे उपाय लैंगिक समानता और लक्ष्य 4 के उद्देश्यों के प्रति भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं।

➢ SDG रिपोर्ट, 2021 के अनुसार–
- भारत में आधुनिक तरीकों से संतुष्ट परिवार नियोजन की माँग (15 से 49 वर्ष की आय की महिलाओं) करने वालों की संख्या 72.8% था (2016 में)।

- 2019 में प्राप्त शिक्षा के महिला-से-पुरुष औसत वर्षों का अनुपात (%) 62.1 थे। 2019 में महिला-से-पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर का अनुपात (%)-27.4 थे।
- 2020 में राष्ट्रीय संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटें की प्रतिशत 14.4 थे।

भारत के विकास से संबंधित प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट

राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक - 2021

- जारीकर्ता – नीति आयोग
- प्रथम स्थान (राज्य) – बिहार
- अंतिम स्थान (राज्य)- केरल
- प्रथम स्थान (केंद्र शासित प्रदेश) – दादर और नगर हवेली
- अंतिम स्थान (केंद्र शासित प्रदेश) – पुडुचेरी

एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22

- जारीकर्ता – नीति आयोग
- कुल शहर – 56
- प्रथम स्थान – शिमला (हिमाचल प्रदेश)
- अंतिम स्थान – धनबाद (झारखंड)

लिंगानुपात (SDG) 2021

- जारीकर्ता – नीति आयोग
- प्रथम तीन राज्य – छत्तीसगढ़ (958), केरल (957), पश्चिम बंगाल (941)
- अंतिम तीन राज्य – उत्तराखंड (840), हरियाणा (843), दिल्ली (844)

इंडिया इन्नोवेशन इंडेक्स - 2022

- संस्था – नीति आयोग
- 17 प्रमुख राज्य में प्रथम स्थान – कर्नाटक
- 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान – मणिपुर
- 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान – चंडीगढ़

SDG भारत सूचकांक, 2020-21 में शीर्ष पांच राज्य

राज्य	स्कोर
केरल	75
हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु	74
आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड	72
सिक्किम	71
महाराष्ट	70

SDG भारत सूचकांक 2020-21 में अंतिम पांच राज्य

राज्य	स्कोर
छत्तीसगढ, नगालैंड, ओडिशा	61
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान उत्तर प्रदेश	60
असम	57
झारखंड	56
बिहार	52

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) भारत सूचकांक – 2020-21

- नीति आयोग ने 3 जून 2021 को, सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21, का प्रतिवेदन निर्गत किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों ने अब तक क्या प्रगति की है

- सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) को केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टिट्यूट और संयुक्त राष्ट संघ के साथ मिलकर तैयार किया था

- इस सूचकांक में, 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के विषय में किय गय, उनके कुल प्रदर्शन के आधार पर, भारत के प्रत्यक राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्र के लिए एक समग्र स्कोर दिया जाता है
- यह स्कोर 0 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है।

- इस स्कोर से पता चलता है कि, दिए गय लक्ष्यों के मामले में इन राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों ने क्या औसत प्रगति की है
- इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है, जिससे वे आपस में होड करते हुए, सतत विकास लक्ष्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें

- सूचकांक का यह लाभ भी है कि, इसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों की प्रगति पर तत्क्षण (Real-Time) निगरानी रख सकती है

- SDG भारत सूचकांक (SDG India Index), संयुक्त राष्ट संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमन्त्री द्वारा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किय जा रहे प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है। विदित हो कि प्रधानमंत्री ने "सब का साथ, सब का विकास" का नारा दिया है, जिसमें....

जिसमें.....
सतत विकास के पाँच वैश्विक लक्ष्यों का कार्यान्वयन शामिल है।
ये पाँच लक्ष्य "5P" कहलाते हैं:-
- People
- Planet
- Prosperity
- Peace
- Partnership

प्रतिवेदन के मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट को 'SDG India Index & Dashboard 2020-21 : Partnerships in the Decade of Action' शीर्षक से जारी किया गया

- SDG भारत सूचकांक, 2020-21 कुल 115 संकेतक, लक्ष्य-17 के बारे में गुणात्मक मूल्यांकन के साथ कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में से 16 को शामिल करता है और 70 SDG से जुड़े प्रयोजनों को आच्छादित (Cover) करता है

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को, उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है-
  - ✓ प्रतियोगी (Aspirant) : 0-49 अंक
  - ✓ अच्छा प्रदर्शन (Performer) : 50-64 अंक
  - ✓ अग्रणी (Front Runner) : 65-99 अंक
  - ✓ लक्ष्य पाने वाला (Achiever) : 100 अंक

- इस रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर (Composite score) 66 रहा है, जबकि वर्ष 2019 के SDG भारत सूचकांक में यह 60 था
- इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल (स्कोर-75) का स्थान प्रथम रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश (स्कोर-74) दूसरा स्थान रहा

SDG भारत सूचकांक, 2020-21 में शीर्ष पांच राज्य

राज्य	स्कोर
केरल	75
हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु	74
आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड	72
सिक्किम	71
महाराष्ट्र	70

SDG भारत सूचकांक 2020-21 में अंतिम पांच राज्य

राज्य	स्कोर
छत्तीसगढ़, नगालैंड, ओडिशा	61
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान उत्तर प्रदेश	60
असम	57
झारखंड	56
बिहार	52

तेजी से आगे बढ़ने वाले शीर्ष राज्य

राज्य	2019-20 स्कोर	2020-21 स्कोर	स्कोर में बदलाव
मिजोरम	56	68	12
हरियाणा	57	67	10
उत्तराखंड	64	72	8

- वर्ष 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।

SDG भारत सूचकांक, 2020-21 में केंद्रशासित प्रदेशों का स्थान

राज्य	स्कोर
चंडीगढ़	79
दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप	68
अंडमान एवं निकोबार	67
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	66
दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव	62

राज्यों का प्रदर्शन

प्रतियोगी (Aspirant) 0-49	कोई नहीं
अच्छा प्रदर्शन (Performer) (50-64)	मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ नगालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार
अग्रणी (Front Runner) 65-99	केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा
लक्ष्य पाने वाला (Achiever) (100)	कोई नहीं

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन

प्रतियोगी (Aspirant) 0-49	कोई नहीं
अच्छा प्रदर्शन (Performer) (50-64)	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव
अग्रणी (Front Runner) (65-99)	चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख
लक्ष्य पाने वाला (Achiever) (100)	कोई नहीं

SDG लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य / केंद्रशासित प्रदेश

	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
लक्ष्य 1 शून्य गरीबी	तमिलनाडु, दिल्ली
लक्ष्य-2 शून्य भुखमरी	केरल, चंडीगढ़
लक्ष्य -3 उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली	गुजरात, दिल्ली
लक्ष्य-4 गुणवत्तायुक्त शिक्षा	केरल, चंडीगढ़
लक्ष्य-5 लैंगिक समानता	छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार
लक्ष्य-6 स्वच्छता एवं साफ पानी	गोवा, लक्षद्वीप
लक्ष्य-7 वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा	आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़ दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
लक्ष्य-8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि	हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
लक्ष्य-9 उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा	गुजरात, दिल्ली
लक्ष्य-10 असमानता में कमी	मेघालय, चंडीगढ़
लक्ष्य-11 संवहनीय शहर और समुदाय	पंजाब, चंडीगढ़
लक्ष्य-12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन	त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
लक्ष्य-13 जलवायु कार्यवाही	ओडिशा, अंडमान और निकोबार
लक्ष्य-14 जलीय जीवों की सुरक्षा	ओडिशा
लक्ष्य-15 थलीय जीवों की सुरक्षा	अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़
लक्ष्य-16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं	उत्तराखंड, पुडुचेरी

संभावित प्रश्न

1. सहस्त्राब्दिक लक्ष्यों की अगली कड़ी के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने की क्या आवश्यकता है? सामाजिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों की चर्चा कीजिए एवं इस संबंध में भारतीय स्तर पर किय गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

2. एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊंची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र है। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गयी है जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी है और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सभी पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती हैं। इस कथन के संदर्भ में भारत के सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में अब तक की हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

3. SDG के क्षेत्र में भारत की प्रगति संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। एसे में नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2020-21 किस प्रकार से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास दिखाई पड़ता है? चर्चा करें।

4. एसा देखा गया है कि, वैश्विक स्तर पर होने वाले समझौते अक्सर विकसित व विकासशील देशों के स्वाहितों के कारण अधर में ही लटक जाते हैं और सतत विकास लक्ष्यों में निहित वैश्विक भागीदारी के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आपके अनुसार एसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के वैश्विक महत्व के समझौते अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके?

5. नवाचार किसी देश विशेष की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ- साथ इसकी आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। इस कथन के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा नवाचार की दिशा में, किय गय प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

6. हाल के वषो में भारत सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सहकारी संघवाद पर बल दिया जा रहा है। इस दिशा में किय गए सरकारी प्रयासों की चर्चा करें और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले।

7. भारत में विकास कार्यक्रम समानुपातिक विकास की दिशा में विगत 74 वषो से क्रियाशील है फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्यों से दूर हैं और सीमांतीकरण में वृद्धि हुई है। समानुपातिक विकास को सत्वर बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे?

8. भारत में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में जनसहभागिता और अधिशासी काय से जुड़े मुद्दों की चर्चा करें।

9. स्थानीय शासन एवं विकास कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण की प्रकृति सामाजिक न्याय से किस प्रकार जुड़ी है? उपयक्त उदाहरण के साथ उत्तर दीजिए।

10. 'भारत में विकास नीति एवं उसके कार्यक्रमों की राजनीतिक हितों के साथ संबद्धता का समानुपातिक विकास के लक्ष्यों पर परस्पर विरोधी प्रभाव रहा है'। समीक्षा करें और इस दिशा में उपयक्त उपाय सुझायं।

11. 1980 के बाद से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली एजेंसी के रूप में राज्य की एकाधिकारिता क्षीण हुई है और अन्य एजेंसियों की सहभागिता में वृद्धि हुई है। विकास नीति में इस नवीन परिवर्तन ने, विकास के लक्ष्यों एवं सामाजिक न्याय के आदर्श को किस प्रकार प्रभावित किया है? उत्तर दें।

12. 1991 के नवीन आर्थिक सुधार ने जहा एक तरफ विकास की गति को बढ़ाया है तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को उपेक्षित किया है। टिप्पणी कीजिए।

13. विकास की प्रक्रिया में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक आधुनिकीकरण एकमात्र घटक नहीं है बल्कि शासकीय सहभागिता भी उतना ही आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए।

14. 'विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता का निर्माण और इसकी सफलता विकास प्रक्रिया के प्रत्यक स्तर पर समुचित पारदर्शिता पर निर्भर करती है'। इस कथन पर टिप्पणी करें और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय सुझाइए।